न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद/विविध प्रकरण संख्या 45/2011

प्रार्थी/वादीः–

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम

अप्रार्थी/प्रतिवादीः–

1. बदरूदीन वल्द नसीर अहमद कौम नागोरी मुसलमान साकिन बासनी तहसील नागौर
2. भेरचन्द पियुष कुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेर चन्द गोगड़, पुत्र चुन्नीलाल गोगड़,
3. भेरचन्द भरत कुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेर चन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़, ए 84 वीर दुर्गादास नगर पाली
4. वन्दना पत्नि रजनीश जैन सा. अम्बेडकर सर्कल पाली
5. हर्षिता जैन पत्नि अशोक कुमार जैन महावीर दुर्गादास नगर पाली
6. निर्मला देवी बोहरा पत्नि अशोक कुमार बोहरा कोम जैन सा. 85 महावीर नगर पाली
7. मो. हारून पुत्र फकीर मो. कोम शेख मुसलमान
8. मो. इकबाल पुत्र फकीर मो. अब्दुल
9. जावेद पुत्र अब्दुल जमीद कोम असांरी मुसलमान सा. इन्द्रा कोलोनी पाली
10. राजेश कर्नावट पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा. अंहिसा काम्पलेक्श पाली
11. राजेश पुत्र चन्दूलाल जाति जैन सा. पावटा जोधपुर

उपस्थितिः–

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2,3 व 6

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक 06.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पाली ॥ स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम है। अप्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि है पर कृषि प्रयोजन हानिप्रद कार्य से उपयोग कर आंशिक भूमि पर मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क आदि का निर्माण करवाया जाकर कॉलोनी बनाई जा रही है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्तरता नष्ट करने के फलंस्वरूप उक्त कृषि के योग्य नहीं रही है तथा भूमि की उर्वरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई। खसरा नंबर 1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगणों द्वारा किसी प्रकार की आपति एवं उज्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र वाद के रूप में परिणित किया जावें। कृषि भूमि पर अकृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया हैं जिसे परिणाम स्वरूप उक्त कृषि भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुचाकर अकृषि योग्य कर दिये जाने से अप्रार्थीगणों का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारों अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन होने से सरहद मौजा पाली के खसरा नम्बर1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम एवं भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 22.09.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि पर खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 है। जिसमे से हमरा हिस्सा 4 बीघा हैं। इस कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस वक्त कृषि भूमि पर तिल व ज्वार की फसल खड़ी है प्रार्थना पत्र के साथ गिरदावरी की नकल एवं जमांबदी नकल की प्रति प्रस्तुत है।

4. प्रतिवादी संख्या 2,3 एवं 6 ने दिनांक 03.07.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा जान बूझकर सही तथ्य प्रकट नहीं किये है। चूंकि मौके पर वाद में वर्णित भूमि विभाजित है और समस्त प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अलग अलग बतौर खातेदार काबिज है। सभी खातेदारान में आपसी सहमति से पूर्व मे ही विभाजन हो रखा है। सभी खातेदारान में आपसी सहमति से पूर्व में ही विभाजन हो रखा है और विभाजित हिस्से ही खरीद किये हैं। उक्त तथ्यों को जान बूझकर छीपाते हुए उपरोक्त वाद पेश किया है, जो खारिज योग्य है। उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा न तो अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य किया है, न ही मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क इत्यादि का निर्माण करवाया है, न ही कॉलोनी इत्यादि बनाई है, बल्कि उत्तरदाता प्रतिवादीगण की भूमि मौके पर अलग से स्वतंत्र रूप से कृषि भूमि के रूप में स्थित है। प्रमाण में फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत है। उत्तरदादात प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि जो मौकेपर अलग ही तारबंदी की हुई स्थित है, उस किसी प्रकार से कोई हानिप्रद कार्य न तो किया है, न ही करने की मानसिकता है, बल्कि उसका उपयोग उपभोग केवल मात्र

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कृषि कार्य के लिए ही किया जा रहा है, जिसकी जानकारी वादी एवं वादी के अधीनस्थ पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को है, फिर भी जान बूझकर उत्तरदाता प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया है। उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा धारा 177 में वर्णित तथ्यों का न तो उल्लंघन किया है न ही करने की चेष्टा करेंगे। वाद ने जान बूझकर आधे अधूरे तथ्य दर्ज करके उपरोक्त प्रकरण पेश किया है। वादी स्वयं को यह जानकारी है कि मौके पर भूमि विभाजित है और उत्तरदाता प्रतिवादी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य न तो हुआ है, न ही हो रहा है।मौके पर सभी समस्ता सहखातेदारान के मध्य भूमि विभाजित है और समस्त सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर स्वतंत्र रूप से काबिज है और उपयोग उपभोग कर रहे है। उत्तरदाता प्रतिवादी की कृषि भूमि के चारों तरफ तारबंदी की हुई है इसी अनुरूप खरीद की है तथा वर्तमान में भी मौके पर कृषि भूमि के रूप में ही उपयोग उपभोग हो रहा है। मौके पर न तो अकृषि उपयोग हुआ है, न ही हानिप्रद कार्य कर सड़क बनाई है, न ही भूखण्ड बनाकर कॉलोनी बनाई है इस कारण उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण खारिज योग्य है।

उक्त वाद में वाद कारण का पूर्वतः अभाव है। वाद कारण बाबत कुछ भी तथ्य दर्ज नहीं है इसलिए वाद कारण के अभाव मे उक्त वाद खारिज योग्य है। धारा 177 राज. टिनेन्सी एक्ट के सन्दर्भ में राज. टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम, 1955 के नियम 58 से 62ए में प्रावधान दे रखे है, जिसे अनुरूप नियम 62ए में स्पष्टतः वर्णित है कि धारा 177 के तहत केवल किसी खसरे के उस क्षेत्र तक ही कार्यवाही की जावेगी जिस खसरे पर अकृषि कार्य किया गया है अर्थात् किसी खतरे में कई खातेदार है और कुछ खातेदार ही अपने हिस्से की भूमि पर अकृषि कार्य करते है तो खसरे के सम्पूर्ण रकबे पर धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में भी केवल मात्र उस रकबे के हद तक और उस सहखातेदार के विरूद्ध ही प्रकरण पेश होना था। जिस सहखातेदारान ने उसके हिस्से की भूमि पर अकृषि अथवा हानिप्रद कार्य किया है। इस कारण भी उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रकरण खारिज योग्य है। नियम 59 अनुसार सत्यापन नहीं है और सत्यापन के अभाव में उक्त वाद खारिज योग्य है। नियम 60 अनुरूप उत्तरदाता प्रतिवादीगण को नोटिस नहीं दिये गये इस कारण भी वाद खारिज योग्य है। नियम 58 अनुसार वादी द्वारा आवेदन पेश नहीं किया है इस कारण भी वाद खारिज योग्य है। नियम 61 अनुरूप वाद विधिवत् रूप से पेश नहीं हुआ हैं अर्थात् वाद पत्र में यह कहीं प्रकट नहीं है कि खसरा नम्बर 1614 कुल रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा में से कितने रकबे पर हानिप्रद कार्य किया गया है ऐसी सूरत मे भी उक्त वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. वाद मे तनकियात दिनांक 28.11.2016 को निम्न प्रकार से कयम की गई–

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

5/1 आया प्रतिवादीगण द्वारा सरहद पाली चक II के खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि पर अनाधिकृत भु खण्ड बनाकर सड़क आदि बनाकर कॉलोनी बनाये जाने से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है– (सरकारी पैरोकार)

5/2 आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य कर भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता शक्ति को नष्ट किया गया है – (सरकारी पैरोकार)

5/3 आया वादग्रस्त भूमि का खातेदारों के बीच आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रति वादी संख्या 2,3 व 6 ने कोई अकृषि कार्य नहीं किया है – (प्रतिवादी संख्या 2,3 व 6)

5/4 आया वाद पत्र मे कही भी उल्लेखित नहीं करने से कि कितने रकबा पर हानिप्रद कार्य किया गया है, वाद खारिज योग्य है– (प्रतिवादी संख्या 2,3 व 6)

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

7. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद पाली II स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम है। अप्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि है पर कृषि प्रयोजन हानिप्रद कार्य से उपयोग कर आंशिक भूमि पर मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क आदि का निर्माण करवाया जाकर कॉलोनी बनाई जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से उर्वरता नष्ट करने के फलस्वरूप उक्त कृषि के योग्य नहीं रही है तथा भूमि की उर्वरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 रा.का. अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में ग्राम पाली II स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम भुमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम पाली ॥ स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1614 रकबा 189.19 किस्म बारानी दोयम है। वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45 सन् 2011

प्रार्थी / वादी:–

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम अप्रार्थी / प्रतिवादी:–

1. बदरूदीन वल्द नसीर अहमद कौम नागोरी मुसलमान साकिन बासनी तहसील नागौर
2. भेरचन्द पियुष कुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेर चन्द गोगड़, पुत्र चुन्नीलाल गोगड़,
3. भेरचन्द भरत कुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेर चन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़, ए 84 वीर दुर्गादास नगर पाली
4. वन्दना पत्नि रजनीश जैन सा. अम्बेडकर सर्कल पाली
5. हर्षिता जैन पत्नि अशोक कुमार जैन महावीर दुर्गादास नगर पाली
6. निर्मला देवी बोहरा पत्नि अशोक कुमार बोहरा कोम जैन सा. 85 महावीर नगर पाली
7. मो. हारून पुत्र फकीर मो. कोम शेख मुसलमान
8. मो. इकबाल पुत्र फकीर मो. अब्दुल
9. जावेद पुत्र अब्दुल जमीद कोम असांरी मुसलमान सा. इन्द्रा कोलोनी पाली
10. राजेश कर्नावट पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा. अंहिसा काम्पलेक्श पाली
11. राजेश पुत्र चन्दूलाल जाति जैन सा. पावटा जोधपुर

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.30 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: